

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.25.(5)चिस्वा/ग्रुप-2/2012/169

जयपुर, दिनांक : 21/3/13

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना की क्रियान्विति हेतु राजकीय चिकित्सालयों की RMRS को राशि अग्रिम दिये जाने बाबत।

महोदय,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख हैं कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना की क्रियान्विति हेतु RE 2012-13 के अनुसार निम्नांकित बजट मदों में उपलब्ध प्रावधान में से राशि रूपयें 2380.00 लाख (अक्षरें रूपयें तेईस करोड़ अस्सी लाख मात्र) संबंधित राजकीय चिकित्सालयों की RMRS को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों/प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से अग्रिम दिये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती हैं:-

(Rs. in Lacs)			
मांग सं.	बजट मद	विस्तृत मद	राशि
26	2210-06-101-20-01 (Plan)	12 Grant in Aid	1700.00
51	2210-06-789-03-01 (Plan)	12 Grant in Aid	380.00
30	2210-06-796-07-01 (Plan)	12 Grant in Aid	300.00
	<b>Total</b>		<b>2380.00</b>

उक्त राशि बजट आवंटन के अनुसार ही संबंधित कार्यलयों द्वारा अग्रिम आहरित की जावेगी।


उपरोक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी.संख्या 151300420 दिनांक 20.03.2013 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती हैं।

भवदीया

  
(अल्पा चौधरी)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग।
3. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड राज. जयपुर।
4. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1/बजट) विभाग जयपुर।
6. शासन उप सचिव, आयोजना (वित्त) विभाग जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
10. समस्त कोषाधिकारी राजस्थान।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर को E-Mail ID-agaeca2@gmail.com पर भिजवाने एवं विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
12. रक्षित पत्रावली।

  
लेखाधिकारी